छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

!! आदेश !!

कमांक 21

दिनांक 11/07/2023

मण्डल के आदेश क्र. 120 दिनांक 22.12.2015 के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा राज्य की विभिन्न योजनाओं में लगायी जाने वाली पैसेंजर लिफ्ट/एलिवेटर के संबंध में आदेशित किया गया है कि उक्त कार्य की एन.आई.टी. अनुमोदन/प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता (सिविल) द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित किये जायेंगे। लिफ्ट के निर्माण, स्थापना एवं संचालन से संबंधित सभी कार्य कार्यपालन अभियंता (सिविल) द्वारा निष्पादित किये जायेंगे तथा तकनीकी पर्यवेक्षण कार्यपालन अभियंता (विद्युत) द्वारा किया जायेगा।

इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित शर्तो के साथ संशोधित आदेश जारी किया जाता है:–

01. उक्त आदेश के परिपालन में लिफ्ट/एलिवेटर के संचालन में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए लिफ्ट/एलिवेटर के निर्माण, स्थापना एवं संचालन से संबंधित सभी कार्य कार्यपालन अभियंता (सिविल) के स्थान पर कार्यपालन अभियंता (विद्युत) द्वारा किया जावेगा ।

02. पूर्व में लगाये गये लिफ्ट/एलिवेटर का रख रखाव का कार्य संबंधित लिफ्ट/एलिवेटर के मूल निर्माता कंपनी (OEM) से ही कराया जावेगा।

03. वर्तमान में मण्डल के सभी लिफ्ट/एलिवेटर का यथास्थिति में मूल निर्माता कंपनी से परीक्षण कराने एवं आगामी 02 वर्षो की अवधि हेतु संधारण कार्य एवं वर्तमान में बंद पड़े सभी लिफ्ट/एलिवेटर को चालू करने में आने वाली व्यय का ऑफर प्राप्त कर मुख्यालय से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव संबंधित विद्युत संभाग द्वारा किया जावेगा।

04. समस्त कार्यपालन अभियंता (सिविल) को निर्देशित किया जाता है कि प्रथम प्राथमिकता के आधार पर लिफ्ट/एलिवेटर के संधारण व्यय को प्रतिमाह विद्युत संभाग को उपलब्ध कराया जावे ।

05. भवनों के विक्रय के समय रख–रखाव के मद पर एकमुश्त आधार पर आबंटियों से लिये गये राशि में से प्राथमिकमा के आधार पर लिफ्ट/एलिवेटर रख–रखाव/संधारण हेतु राशि मुख्यालय से विद्युत संभाग को हस्तांतरित की जावेगी।

मण्डल मुख्यालय पर्यावास भवन आवक क्र. 2123 दिनांक 13/7/23

06. विद्युत संभाग द्वारा लिफ्ट/एलिवेटर संधारण कार्य को निविदा विद्युत संभाग से कार्यवाही पूर्ण किये जाने तक लिफ्ट/एलिवेटर का संधारण कार्य पूर्ववत सिविल संभाग से ही किया जावेगा।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

अपर आयुक्त
छ.ग. गृह निर्माण मंडल
मुख्यालय नवा रायपुर

पृ.क्रमांक 1875/तकनीकी/2023 नवा रायपुर, दिनांक 11/07/2023

प्रतिलिपि

1. स्टॉफ आफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन नवा रायपुर ।
2. स्टॉफ आफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन नवा रायपुर ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल जोन–रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
4. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन नवा रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन नवा रायपुर।
6. उपायुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त–मुख्यालय, पर्यावास भवन नवा रायपुर/दुर्ग/रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन नवा रायपुर।
8. वास्तुविद, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन नवा रायपुर।
9. समस्त कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग–..... ।

अपर आयुक्त
छ.ग. गृह निर्माण मंडल
मुख्यालय नवा रायपुर